न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

प्रकरण क्रमांक : ...../2015

निग/3376/I/15

ज्ञान सिंह आत्मज जगन्नाथ,
आयु वयस्क, निवासी ग्राम सिरोड़ी,
तहसील व ज़िला सीहोर ..... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. रतन सिंह आत्मज जगन्नाथ, वयस्क
02. **राजकुंवर बाई** पत्नि स्व. श्री मानसिंह, वयस्क
03. **तखत सिंह** आत्मज स्व. श्री मानसिंह, वयस्क
04. **प्यारजी** आत्मज स्व. श्री मानसिंह, वयस्क
05. **भगवान सिंह** आत्मज स्व. श्री मानसिंह, वयस्क
06. मुकेश आत्मज स्व. श्री मानसिंह, वयस्क

निवासीगण – ग्राम सिराड़ी, तहसील व ज़िला सीहोर

07. **बत्ता बाई** पुत्री स्व. श्री मानसिंह, वयस्क

निवासी ग्राम सेमरा दांगी, तहसील व ज़िला सीहोर

08. **बिन्दा बाई** पुत्री स्व. श्री मानसिंह, वयस्क

निवासी ग्राम निपानिया खुर्द, तहसील व ज़िला सीहोर ..... **प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.15 जो प्रकरण क्र. 89/अपील/06–07 में न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सिराड़ी स्थित भूमि खसरा क्र. 389 रकबा 26.75 एकड़ के बंटवारे हेतु आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का 3 आने का खाता पृथक क़ायम कर ऋण पुस्तिका प्रदान की जाये। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन तहसील न्यायालय द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/अ–27/2000–01 पर दर्ज़ किया जाकर उक्त प्रकरण में दिनांक 20.11.2001 को अंतिम आदेश पारित किया गया । प्रार्थी के हिस्से में तीन आने के मान से 5.00 एकड़ भूमि आनी थी, किन्तु प्रार्थी का खाता 4.47 एकड़ का बनाया गया।

निरंतर.....

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास " दर्गा चौक"

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3376-II/15 जिला .....

— 1 —

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.10.15	(1) प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए, एवं निगरानी मेमो तथा अपर आयुक्त के आदेश की प्रति का परिशीलन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के परिशीलन के आधार पर मैं यह देखता हूँ कि उसमें उनके द्वारा यह नहीं लिखा गया है कि उनके अनुसार बटवारे के पूर्व विवादित भूमि का कुल कितना रकबा है, तो उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों अथवा अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर स्वयं होना पाया हो। उन्होंने केवल अपील मेमो का हवाला देते हुए इस भूमि (ख.न. 384) का कुल रकबा 26.75 एकड़ होना अपने आदेश में लिखा है। (2) इसी प्रकार विद्वान अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर भी बोलता हुआ निष्कर्ष अपने आदेश में अभिलिखित नहीं किया है कि उनके अनुसार ज्ञानसिंह का इस भूमि पर कितना हिस्सा, किन आधारों पर, बनता है। उन्होंने इस	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संबंध में भी केवल अपीलार्थी (ज्ञानसिंह) के आवेदन का हवाला लेते हुए यह लेख कर दिया है कि उसका हिस्सा 3 आना है। (3) अपने आदेश के अंतिम ~~...~~ पृष्ठ पर उन्होंने यह लिखा है कि ज्ञानसिंह का 3 आने के हिसाब से हिस्सा 4.43 एकड़ होता है, अतः ज्ञानसिंह के पक्ष में 5.00 एकड़ का बँटवारा ना होकर 4.43 एकड़ का बँटवारा होना विधि अनुकूल है। ज्ञानसिंह का हिस्सा 4.43 एकड़ किस प्रकार होता है, इस संबंध में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कोई गणना अथवा खुलासा नहीं किया है। वैसे भी, यदि ख.न. 389 को बटवारा किए जाने वाली संयुक्त भूमि माना जाए और उसका रकबा 26.75 एकड़ माना जाए, तो इस रकबे का 3 आना, अर्थात 3/16 वाँ हिस्सा ~5.01 एकड़ गणित होता है, ना कि 4.43 एकड़।	

शाक्षेमुग्वा-475—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3376-II/15 जिला .....

-3-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

(4) उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपर आयुक्त, भोपाल द्वारा उनके प्र.क. 89/अपील/06-07 में पारित आदेश दि. 14.7.2015 एक अस्पष्ट एवं मूक आदेश है। यह एक बोलता हुआ आदेश बिल्कुल नहीं है। साथ ही, यदि बंटवारे-पूर्व की भूमि का आकार 26.75 एकड़ माना जाए और अपीलार्थ का इस पर 3/16 हिस्सा हो, तो प्रथमदृष्टया अपीलार्थ के हिस्से की गणना 4.43 एकड़ की जाना गलत है, जो इस आदेश के प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होने की ओर भी स्पष्ट इशारा है। ऐसे में मैं अपर आयुक्त के इस आदेश को रिवर्ट रखे योग्य न पाकर निरस्त करता हूँ, तथा रा.मं. का यह प्रकरण, अपर आयुक्त, भोपाल को इस निर्देश के साथ समाप्त

[कृ. पृ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

करता हूँ, कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण क्रं. 89/अपील/06-07 पुनः खोलें, तथा उसमें इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा (1) से (3) में उठाए गए बिन्दुओं पर अपने स्पष्ट आधार-युक्त निष्कर्ष लिखते हुए, उभयपक्ष को पक्षसमर्थन का समुचित अवसर प्रदान कर, एक बोलते हुए आदेश के माध्यम से अपने न्यायालय के अपील प्रकरण का न्यायपूर्ण निराकरण करें। साथ ही उन्हें यह हिदायत भी देता हूँ कि भविष्य में आप न्यायालय से इस प्रकार के अस्पष्ट एवंमूक आदेश पारित नहीं करें।

प्रकरण समाप्त।
दा.द.हो।
पक्षकार सूचित हों।

20.10.2015

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.